पटना, जागरण ब्यूरो : भ्रष्टाचार की जीरो टालरेंस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विधानसभा में पेश बिहार लोकायुक्त विधेयक2011 बुधवार को करीब सवा दो घंटे की बहस के बाद पारित हो गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से लेकर मुखिया तक लोकायुक्त की जांच के दायरे में आ गए। विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कई आपत्तियां दर्ज कीं जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिन्दुवार जवाब दिया। सदन में भू-हदबंदी, दाखिल-खारिज एवं विश्वविद्यालय से संबंधित चार और विधेयक पारित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण है और मुझे खुशी है कि इस विधायी कार्य में भाग लेने का मुझे मौका मिला है। यह एक आदर्श सशक्त और प्रभावकारी कानून है। सारे संबंधित कानूनों का मंथन कर यह एक्ट बनाया गया है। केन्द्र सरकार लोकपाल बना रही है। वह चाहे तो इसे मंगा कर देख सकती है। मुख्यमंत्री ने सदन में ही विधेयक की हिंदी प्रति में एक त्रुटि पकड़ी, जिसके सुधार के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने तुरंत संशोधन प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के इस प्रस्ताव पर कि इसे 28 फरवरी तक जनमत संग्रह के लिए प्रकाशित किया जाए और इसे हड़बड़ी में लाने की आवश्यकता नहीं है, कहा कि इंटरनेट पर इसका प्रारूप 8 नवंबर को डाल गया, और 22 नवंबर तक 130 सुझाव आये। 26 नवंबर को सर्वदलीय बैठक के बाद सभी सुझावों पर मंत्रियों के समूह ने विचार किया। उसके बाद ही यह विधेयक तैयार किया गया है। विपक्ष के लोग हड़बड़ी की बात करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि भ्रष्टाचार को एक दिन भी क्यों बर्दाश्त किया जाए? इससे पहले नेता प्रतिपक्ष श्री सिद्दीकी ने विधेयक को स्वायत्त एवं स्वतंत्र रहने से परे बताया, और कहा कि यह सरकार के आसरे पर चलने वाला एक्ट है। उन्होंने इसकी करीब एक दर्जन खामियां गिनायीं। इस क्रम में प्रभारी मंत्री श्री यादव से कई बार उनकी नोंक-झोंक भी हुई। सिद्दीकी ने कहा कि सरकार ने विधेयक का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि पूर्व का बिहार लोकायुक्त विधेयक-1973 भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा बता सरकार ने देर से ही सही, स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार रोकने में वह असहाय है। इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पिछले साल विशेष न्यायालय अधिनियम बनाया गया। भ्रष्टाचारियों की सम्पत्ति जब्त की जा रही है। उनमें स्कूल खोले जा रहे हैं। मंत्री से लेकर सभी सरकार कर्मी अपनी सम्पत्ति का ब्योरा वेबसाइट पर डाल रहे हैं। राइट टू सर्विस एक्ट क्या है? भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उठाया गया कदम ही तो है। बहस में भाकपा के अवधेश कुमार राय ने भी भाग लिया। आरंभ में राजद के दुर्गा प्रसाद और भाई विरेंद्र ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया जो नामंजूर हो गया। अंत में सदन ने बिहार लोकायुक्त विधेयक2011 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। सदन ने बुधवार को इसके अलावा चार और विधेयकों को मंजूरी प्रदान की।